कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 16.06.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–24 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. अमर सिंह पुत्र राम प्रकाश नि0 बालपुर जाट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–235/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामभवन पुत्र रामदीन नि0 मणिपुर ग्रण्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–179/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.06.2021

मारपीट व छेडछाड करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने मु0अ0सं0–140/20, धारा 323,324,354ख,452,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त–भगवानदीन उर्फ भगवाने को मुखबिर खास की सूचना पर धनुही नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा था तथा उसके घर में घुसकर उसके साथ छेडछाड की थी। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. भगवानदीन उर्फ भगवाने पुत्र गजराज नि0 ग्राम धनुही थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–140/20, धारा 323,324,354ख,452,504,506 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 राकेश कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.06.2021

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मोतीगंज पुलिस ने मु0अ0सं0–121/21, धारा 363. 366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 शाहिद को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मोतीगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना मोतीगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मो0 शाहिद पुत्र जाकिर नि0 अनेगी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–121/21, धारा 363.366 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 शरद कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 16.06.2021

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0–177/21, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजय कुमार सोनकर को मुखबिर खास की सूचना पर नगरा बुजुर्ग मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विजय कुमार सोनकर पुत्र रामप्रसाद सोनकर नि0 नगरा बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–177/21, धारा 498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0एक्ट एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता–

01. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार मय टीम।